न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 148/2020
3. उनवान : सरकार जरिये थानाधिकारी, थाना कोटपूतली, जयपुर ग्रामीण राज.

बनाम

1. हरिपाल पुत्र श्री जवाहर लाल निवासी ढाणी पहलाशाला तन डोडा सीकर।
2. रतनलाल पुत्र श्री जीवणराम निवासी दरीबा थाना सीकर।
3. हरीश पुत्र श्री ओमकार निवासी ढाणी पहलाशाला तन डोडा सीकर।

4. निर्णय दिनांक : 24.08.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री आनन्द कुमार शर्मा अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी थानाधिकारी, थाना कोटपूतली द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 24.08.2011 को शिकायत की जांच हेतु दिल्ली से कोटपूतली की ओर आती हुयी पिकअप नं. आरजे–18–जीए–1582 को रोककर जांच करने पर 1360 लीटर डीजल, 200 लीटर पेट्रोल व इनके अवैध परिवहन में काम ली जा रही उक्त पिकअप को जब्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, एफ.आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से दिनांक 25.10.2011 को अधिवक्ता श्री आनन्द कुमार शर्मा ने उपस्थिति दी। अप्रार्थीगण/ अभिभाषक द्वारा आदिनांक तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया। दिनांक 23.09.2011 को अप्रार्थी संख्या 3 ने स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 4,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 23.09.2011 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार अप्रार्थीयान को आवाज लगवाई गयी। न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.08.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 24.08.2011 को जब्त सामान का अप्रार्थी द्वारा कालाबाजारी के उद्देश्य से अवैध भण्डारण एवं परिवहन किया जा रहा था। अप्रार्थीगण ने उक्त जब्त सामान को कब्जे में रखने व परिवहन करने बाबत परमिट, लाईसेंस व बिल प्रस्तुत नहीं किये। प्रकरण में जब्त गाडी के अलावा अन्य किसी भी जब्त सामग्री के संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई क्लेम नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी वैध बिल–परमिट के डीजल व पेट्रोल को व्यापार के उद्देश्य से परविहन करना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में जब्त सामान व उसके अवैध परिवहन में काम में लिये जा रही गाडी के संदर्भ में अप्रार्थी द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं उक्त डीजल व पेट्रोल को हरियाणा से लाकर बेचने के काम की स्वीकारोक्ति करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त 7 बडे ड्रम प्लास्टिक के मय 1360 लीटर डीजल व 5 छोटे ड्रम प्लास्टिक के मय 200 लीटर पेट्रोल के भरे हुये व गाडी पिकअप नं. आरजे–18–जीए–1582 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर